

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सिलेगारायण बनाम रा.राजपूर व हसीलदार सा.गोडेल

किसस मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 62 सन 2022

दिनांक

हुकम या कार्यवाही नय इनिशयल्स जज

नम्बर व नारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
ने जारी हुए

4-3-22

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर  
विपक्षीयण को समस्त नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 29/3/22 को  
पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क माण्डल

29-3-22 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित  
तहसीलदार माण्डल से मौका रिवाज प्राप्त हुई  
जिते शा.प० दिया गया। वकील प्रार्थी का पत्र  
पत्रा स्वीकार दिया जाकर निर्णय पत्र से लिखा  
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फिल  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 62/22 प्रा-पण

1- श्री सत्यनारायण सो श्री कन्हैयालाल खंवर निवासी-माण्डल तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- राजस्वान राज्य जरिए तहसीलदार सांमाण्डल तहसील-माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 29.3.22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 5623, 5624, 5637, 5638 कुल किता 0.5 रकबा 0.4805 हेक्टेयर 9808/5309 विस्था स्थित है। वादप्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4-3-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादप्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 5623, 5624, 5637, 5638, 9808/5309 कुल किता 0.5 रकबा 0.4805 हेक्टेयर विस्था भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके ब कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा